न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 16/2019

बउनवान

1. पुरूषोत्तम उम्र 53 साल पुत्र श्री राधाबल्लभ जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम मऊ, तहसील मांगरोल जिला बारां, राज0
2. मंजू शर्मा उम्र 50 वर्ष पत्नि पुरूषोत्तम जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम मऊ, तहसील मांगरोल, जिला बारां, राज0 (अपीलांट)

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र राधाबल्लभ जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम मऊ, तहसील मांगरोल, जिला बारां
2. जगदीश पुत्र राधाबल्लभ जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम मऊ, तहसील मांगरोल जिला बारां, राज0 हाल निवासी तिलक स्कूल के पास कोटा रोड़ बारां जिला बारां
3. प्रेमबाई बेवा दुर्गाशंकर जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम मऊ, तहसील मांगरोल जिला बारां, राज0
4. अनिल पुत्र दुर्गाशंकर जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम मऊ, तहसील मांगरोल जिला बारां, राज0
5. नरेशबाई पुत्री दुर्गाशंकर पत्नि रामरतन जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम मऊ, तहसील मांगरोल जिला बारां, राज0 हाल इकलेरा तहसील बारां जिला बारां, राज0
6. सरिता पुत्री दुर्गाशंकर पत्नि प्रभूदत्त जाति ब्राह्मण, निवासी इन्द्रा मार्केट कोटा जिला कोटा राज0
7. अनिता पुत्री दुर्गाशंकर जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम मऊ, तहसील मांगरोल जिला बारां, राज0
8. धनकंवर पुत्री राधाबल्लभ जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम मऊ, तहसील मांगरोल जिला बारां, राज0 हाल निवासी ज 22 दादाबाड़ी कोटा
9. कौशल्याबाई पुत्री राधाबल्लभ पत्नि गिर्राज शर्मा जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम मऊ, तहसील मांगरोल जिला बारां, राज0 हाल निवास धर्मशाला के पास अटरू तहसील अटरू जिला बारां
10. विमलाबाई पुत्री राधाबल्लभ पत्नि ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम मऊ, तहसील मांगरोल जिला बारां, राज0 हाल निवासी मकान नंबर 2 कुन्हाड़ी कोटा जिला कोटा
11. राजेन्द्र शर्मा पुत्र चन्द्रकला जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम मऊ, तहसील मांगरोल जिला बारां, राज0 हाल गन्धीजी की पुल बृजराजपुरा कोटा
12. मन्नू शर्मा पुत्र चन्द्रकला जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम मऊ, तहसील मांगरोल जिला बारां, राज0 हाल गन्धीजी की पुल बृजराजपुरा कोटा
13. कौशल शर्मा पुत्र चन्द्रकला जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम मऊ, तहसील मांगरोल जिला बारां, राज0 हाल गन्धीजी की पुल बृजराजपुरा कोटा
14. ओमप्रकाश पुत्र धनकंवर जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम मऊ, तहसील मांगरोल जिला बारां, राज0 हाल ज 12 दादाबाड़ी कोटा
15. नरेश शर्मा पुत्र धनकंवर जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम मऊ, तहसील मांगरोल जिला बारां, राज0 हाल ज 12 दादाबाड़ी कोटा
16. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल (रेंस्पोडेंटगण)

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

अपील विरूद्ध इन्तकाल नं0 147 दिनांक 25.05.1989

उपस्थिति :— 1. श्री बृजराज सिंह चौहान एडवोकेट (अपीलांट)
2. श्री नरेन्द्र सिंह हाड़ा एडवोकेट (रेस्पोडेन्ट कम 2 व 4)
3. श्री दीपक शर्मा एडवोकेट (रेस्पोडेन्ट कम 1, 9 ता 15)

निर्णय दिनांक 21.08.2024

अपीलांट्स की [illegible] अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन इंतकाल दिन[illegible]015 को बिना जांच एवं पड़ताल किये खोला गया है जो विधि विरूद्ध होने से [illegible] 17.12.2011 को हो चुका है। पानाबाई ने अपने जीवनकाल [illegible]पीलांट कम 2 [illegible]क्ष में वसीयत दिनांक 08.12.2011 की उक्त वसीयत के आधार पर अपीलांट [illegible] खोला जाना चाहिये थ[illegible]लांट कम 2 ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.09.20 13:52:54 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

उक्त वसीयत तहसीलदार मांगरोल के समक्ष पेश कर आराजी का इन्तकाल अपने नाम दर्ज करने का निवेदन किया था परन्तु उन्होने उस पर कोई गौर नहीं कर रेस्पो0 क्रम 1 ता 15 के नाम आराजी का इन्तकाल खोल दिया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। विवादित भूमि पैतृक सम्पत्ति नहीं है। राधाबल्लभ द्वारा अपने जीवनकाल में अपनी पत्नि पानाबाई के नाम जर्ये रजि0 वसीयत दिनांक 11.05.1983 को तहरीर करवाकर 25.05.1983 को सब रजिस्ट्रार मांगरोल के यहां पंजीकृत करवाई गई थी। राधाबल्लभ का स्वर्गवास हो जाने पर पानाबाई उक्त आराजी की स्वामिनी हुई तत्पश्चात पानाबाई द्वारा अपीलांट क्रम 2 के पक्ष में अपने जीवनकाल मे वसीयत 08.12.2011 को संपादित करवा कर उसका नोटेरी प्रमाणन करवा दिया था। इस प्रकार वसीयत की रूह से अपीलांट क्रम 2 आराजियात का एकमात्र मालिक स्वामी काबिज चला आ रहा है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मांगरोल द्वारा खोला गया इंतकाल क्रमांक 1049 दिनांक 16.06.2015 निरस्त किया जावे एवं अपीलांट क्रम 2 के पक्ष में वसीयत की रूह से इंतकाल तस्दीक फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंटगण को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। रेस्पो0 कम 1, 9 ता 15 तथा रेस्पो0 कम 2 व 4 जर्ये पृथक पृथक अभिभाषकगण उपस्थित हुए। रेस्पो0 कम 3, 5 ता 8 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण की सुनी। दौराने बहस अभिभाषक रेस्पो0 कम 1, 9 ता 15 अनुपस्थित रहे। दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजीयात मृतक पानाबाई की स्वअर्जित सम्पत्ति होने के बावजूद भी वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात वसीयतग्रहिता के पक्ष में नामान्तकरण दर्ज नहीं कर विरासत के अनुसार नामान्तकरण दर्ज किया गया है जो विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्अ्स स्वीकार की जाकर ग्राम मऊ का इंतकाल नं. 1049 दिनांक 16.06.2015 निरस्त फरमावें तथा अपीलान्ट कम 2 के पक्ष में वसीयत की रूह से इंतकाल तस्दीक फरमाया जावे।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पो0 कम 2 व 4 ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि अपीलान्ट्स ने स्वअर्जित सम्पत्ति होने के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है तथा अधीनस्थ न्यायालय में भी स्वअर्जित सम्पत्ति होने के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया तथा मृतक पानाबाई की मृत्यु के पश्चात भी 8 साल तक वसीयत अधीनस्थ न्यायालय में पेश नही की। जबकि अपीलान्ट्स को पानाबाई की मृत्यु की भी जानकारी थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक पानाबाई के समस्त वारिसान के पक्ष में इंतकाल खोला जाकर तस्दीक किया है जो नियमानुसार सही एवं वैध है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। अपीलांट्स का यह कथन उचित प्रतीत नहीं होता है कि उन्होने वसीयत अधीनस्थ न्यायालय में पेश की थी उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने विरासत का नामान्तकरण दर्ज कर तस्दीक कर दिया। यदि अपीलान्ट्स द्वारा वसीयत अधीनस्थ न्यायालय में पेश की जाती तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुणावगुण के आधार पर उसका निस्तारण भू राजस्व अधिनियम की धारा 135 के तहत किया जाता जबकि अपीलान्ट्स ने ऐसी कार्यवाही का अंकन ना तो अपील में किया ना ही ऐसा कोई दस्तावेजी प्रमाण पत्रावली में पेश किया। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट्स सारहीन होना पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने [illegible] की जाती है।

निर्णय आज दिनांक [illegible].08.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.09.20 13:52:54 IST
Reason: SelfAttested

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)